बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संख्या–07 / स्था0–01–21 / 2014, परि0 **पटना, दिनांक–**

आदेश

श्री विकास कुमार तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक, भागलपुर सम्प्रति जिला परिवहन कार्यालय, जमुई के विरूद्ध श्री अजय कुमार मंडल, माननीय सांसद, भागलपुर द्वारा समर्पित परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–30, दिनांक–04.01.2022 के द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से जाँच करने का अनुरोध किया गया था।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–114 (प्र0), दिनांक–30.08.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में परिवाद को पुष्ट किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं 19 के तहत श्री विकास कुमार के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप की जाँच के लिए विभागीय आदेश सं0–2482, दिनांक–18.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–858, दिनांक–09.05.2023 द्वारा श्री विकास कुमार के विरूद्ध 1,35,94,585 / – (एक करोड़ पैंतीस लाख चौरानवे हजार पाँच सौ पचासी रू0) के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–19 / 2023, दिनांक–25.04.2023 धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(B) भ0 नि0 अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया।

श्री विकास कुमार के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में दर्ज काण्ड के आलोक में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन के आरोप में विभागीय आदेश सं0–4475, दिनांक–13.06.2023 के द्वारा पूरक आरोप पत्र गठित किया गया।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्र सं0–33, दिनांक–19.03.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध आरोप सं0–1, 2 एवं 3 को प्रमाणित पाया गया तथा आरोप सं0–4 के संदर्भ में प्रतिवेदित है कि थाना काण्ड सं0–19 / 2023 के अन्तर्गत अनुसंधान प्रक्रियागत है।

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत ज्ञाप सं0–3108, दिनांक–09.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए लिखित अभिकथन एक पक्ष के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक–24.04.2025 को समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।

समीक्षोपरान्त श्री विकास कुमार, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अन्तर्गत **दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नत्तर प्रक्रम पर अवनति** की शस्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

ह0/–

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2663 पटना, दिनांक– 08/04/2026

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, भागलपुर/संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर/जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर एवं जमुई/कोषागार पदाधिकारी, जमुई/श्री विकास कुमार, प्रवर्तन अवर निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, जमुई/आई0 टी0 मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.4.26

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

संख्या–07 / स्था0–01–21 / 2014, परि0 2063 **पटना, दिनांक–** 08/04/2026

आदेश

श्री विकास कुमार तत्कालीन प्रवर्तन अवर निरीक्षक, भागलपुर सम्प्रति जिला परिवहन कार्यालय, जमुई के विरूद्ध श्री अजय कुमार मंडल, माननीय सांसद, भागलपुर द्वारा समर्पित परिवाद पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक–30, दिनांक–04.01.2022 के द्वारा जिला पदाधिकारी, भागलपुर से जाँच करने का अनुरोध किया गया था।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–114 (प्र0), दिनांक–30.08.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। जाँच प्रतिवेदन में परिवाद को पुष्ट किये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 एवं 19 के तहत श्री विकास कुमार के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप की जाँच के लिए विभागीय आदेश सं0–2482, दिनांक–18.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी, भागलपुर को प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी (अन्वेषण ब्यूरो) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–858, दिनांक–09.05.2023 द्वारा श्री विकास कुमार के विरूद्ध 1,35,94,585 / – (एक करोड़ पैंतीस लाख चौरानवे हजार पाँच सौ पचासी रू0) के प्रत्यानुपातिक धनार्जन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0–19 / 2023, दिनांक–25.04.2023 धारा–13(2) सहपठित धारा–13(1)(B) भ0 नि0 अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) दर्ज किया गया।

श्री विकास कुमार के विरूद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन के मामले में दर्ज काण्ड के आलोक में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 के संगत प्रावधानों का उल्लंघन के आरोप में विभागीय आदेश सं0–4475, दिनांक–13.06.2023 के द्वारा पूरक आरोप पत्र गठित किया गया।

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्र सं0–33, दिनांक–19.03.2025 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध आरोप सं0–1, 2 एवं 3 को प्रमाणित पाया गया तथा आरोप सं0–4 के संदर्भ में प्रतिवेदित है कि थाना काण्ड सं0–19 / 2023 के अन्तर्गत अनुसंधान प्रक्रियागत है।

जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18(3) के तहत ज्ञाप सं0–3108, दिनांक–09.04.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री कुमार को उपलब्ध कराते हुए लिखित अभिकथन एक पक्ष के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन दिनांक–24.04.2025 को समर्पित किया गया।

2

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पर उनके द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया।

समीक्षोपरान्त श्री विकास कुमार, प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के अन्तर्गत **दो वर्षों के लिए असंचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में निम्नत्तर प्रक्रम पर अवनति** की शस्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

7.4.26

अपर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।